

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक – शिविरा/प्रार./आरटीई/सी/आरटीई दिशा-निर्देश/2023-24

दिनांक-

मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
समस्त ब्लॉक।

विषय :- आरटीई आवेदन की सत्यापन तिथि संशोधन के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि शैक्षिक सत्र 2024-25 में आरटीई के अन्तर्गत निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश के संबंध में संशोधित दस्तावेजों की जांच कर सीबीईओ द्वारा इन्हें सत्यापित करने की तिथि 03.06.2024 को संशोधित कर 06.06.2024 किया जाता है। निर्धारित तिथि तक कार्य पूर्ण नहीं करने पर सीबीईओ को उत्तरदायी मानते हुए अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(चन्द्रकिरण पंवार)
सहायक निदेशक (आरटीई)
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

01. जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय), प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा समस्त को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि समयबद्ध पालना सुनिश्चित करावें।

(चन्द्रकिरण पंवार)
सहायक निदेशक (आरटीई)
प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

RajKaj Ref
7712761

